संख्या-4/2018/1/3/96-का-4-2018

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 03 अप्रैल 2018

विषय:-सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक 29 मार्च, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण के संबंध में सत्र 2018-19 से 2021-22 तक के लिए स्थानान्तरण नीति निर्गत की गयी है।

2. इस संबंध में आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है कि शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण वर्तमान सत्र के दौरान 31.05.2018 तक अवश्य पूर्ण कर लिये जायें। यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं, यथा स्थानान्तरण समय में परिवर्तन, भैगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो उसे 15.04.2018 तक मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंद्त्री जी का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त आवश्यक तैयारियां व कार्यवाही ससमय पूर्ण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1/3/96(1)-का-4-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी।
2. सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

कुमार राघवेन्द्र सिंह
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in